अन्तिम नियम

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

भोपाल, दिनांक 26 मई 1992

क्र. एफ-1(क)-98-84-1-25.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) जहां कहीं भी शब्द "हरिजन" आया हो वहां उसके स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति" स्थापित किये जायें.

(2) नियम-8 के खण्ड एक के उपखण्ड-(ग) की मद (पांच) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात्:—

(छः) विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला उम्मीदवारों के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु-सीमा 35 वर्ष होगी.

(सात) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत "ग्रीनकार्ड" धारण करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में अधिकतम आयु-सीमा में 2 वर्ष तक की छूट दी जाएगी.

(आठ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत किसी दंपत्ति में से सवर्ण जाति के पति/पत्नि के संबंध में सामान्य अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(नौ) "विक्रम पुरस्कार" धारक उम्मीदवारों के संबंध में भी सामान्य अधिकतम आयु-सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

(दस) उन उम्मीदवारों के मामले में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हों, अधिकतम आयु-सीमा में 38 वर्ष की आयु तक छूट दी जायेगी.

(3) नियम-11 के भाग-(आ) में, उपनियम (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(7) जब कभी सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद के संबंध में कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया हो और लोक सेवा आयोग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आरक्षित पदों की भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभाव्यता नहीं है तो लोक सेवा आयोग या सक्षम प्राधिकारी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये अनुभव की शर्तें शिथिल कर सकेगा."

(4) नियम- 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"16—आयोग से परामर्श.—उस विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के बारे में यह समझा जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद-320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग से परामर्श की अध्यपेक्षा का अनुपालन हो गया है और आयोग से पृथक् से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा."